## न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 27/2021

| वादी | बनाम प्रतिवादी |
|---|---|
| 1. अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर। | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,**

दिनांक : 13/09/21

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 38, 74/16 की कुल 2.024 हैक्टर नहरी भूमि मय गैरमुमकिन खाला भूमि में 0.675 हैक्टर भूमि व चक 41 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 73/60 के मुरब्बा नम्बर 28, 37 की कुल 8.475 हैक्टर नहरी भूमि में 1.560 हैक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खातों में वादी का नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजात में वादी के पिता का नाम जसपाल सिंह दर्ज है। उक्त दोनों नाम वादी के पिता के ही है। इसलिए वादी जमाबन्दी में अपने पिता का नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह करवाना चाहता है। उक्त जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम सुखपाल सिंह होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। इसके अलावा वादी को भूमि बैंक में रहन रखने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त दोनों खातों की जमाबन्दी में अपना नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन करवाना चाहा तो तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः वादपत्र पेश कर अर्ज है कि चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 38, 74/16 व चक 41 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 73/60 के मुरब्बा नम्बर 28, 37 में वादी के पिता का नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 48 जीजी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर किये जाने [illegible]

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर [illegible] 15859 [illegible] .2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 48 जी[illegible] 77 के [illegible] संख्या 03[illegible] में संयुक्त खाता में 0.675 [illegible] पाल सिंह के नाम दर्ज है। [illegible] 41 जीजी में खाता संख्या 60 में 8.475 हैक्टेयर भूमि म से 104/565 भूमि अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। फर्द मौका रिपोर्ट व मौके पर पूछताछ के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) [illegible]

Scanned with CamScanner

उपस्थितजनों ने बताया कि जसपाल सिंह व सुखपाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल उर्फ जसपाल सिंह किया जाना उचित है। साक्ष्यवादी में गवाह अंग्रेज सिंह स्वंय उपस्थित आए व शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। पैरोकार के द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र गवाह, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 03/03 व चक 41 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 73/60 में वादी के पिता का नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के संलग्न पटवारी हल्का 48 जीजी फर्दमौका मुताबिक सुखपाल सिंह व जसपाल सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है, अन्य व्यक्ति नहीं है। अंतः अग्रेंज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह किया जाना उचित है।। वादी के पिता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा परिवार राशनकार्ड, मृत्यू प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र अंग्रेज सिंह, आधार कार्ड अग्रेज सिंह, में नामजसपाल सिंह अंकित है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम सुखपाल सिंह दर्ज है। अतः उक्त खातों में वादी के पिता का नाम सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 38, 74/16 व चक 41 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 73/60 के मुरब्बा नम्बर 28, 37 में अंकित नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह के स्थान अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 13/... द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

अंग्रेज सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 27/2021

निर्णय दिनांक :- 13/09/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 48 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 38, 74/16 व चक 41 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 73/60 के मुरब्बा नम्बर 28, 37 में अंकित नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह के स्थान अंग्रेज सिंह पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ जसपाल सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 13/09/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

| मुददई | रूपया | पैसा | मुदायली | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अरजी | 00 | -- |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकली पर | 00 | -- |
| योग | 04 | 00 | योग | 00 | 00 |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः राजस्व/ 2021/327

दिनांकः 13/9/21

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner